


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>श्रीमती गणेशीदेवी बनाम नगर परिषद सीकर</b>  <b>364 / 2017 (जीसीएमएस नम्बर 2017 / 00275)</b></p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो हुक्म की तामी जारी हुए</p>
<p>01.09.21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 उपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (दिनेश कुमार यादव)  संभागीय आयुक्त,  जयपुर। </p>	